न्यूज़ीलैंड में जब आप स्वास्थ्य या विकलांगता सेवा का उपयोग करते हैं तो आपके अधिकार होते हैं।

HEALTH & DISABILITY COMMISSIONER
TE TOIHAU HAUORA, HAUĀTANGA

ये अधिकार हैं:

1. सम्मानपूर्वक व्यवहार किए जाने का अधिकार।
2. निष्पक्ष व्यवहार पाने का अधिकार।
3. आदर और स्वतंत्रता का अधिकार।
4. अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अच्छी देखभाल और सहायता प्राप्त करने का अधिकार।
5. आपके समझने योग्य तरीके से चीजों को बताए जाने का अधिकार।
6. जरूरत के अनुसार अपनी देखभाल और सहायता के बारे में सारी जानकारी बताए जाने का अधिकार।
7. अपनी देखभाल और सहायता के बारे में चुनने और सहमति देने का अधिकार।
8. अपने साथ एक सहायक व्यक्ति रखने का अधिकार।
9. यह तय करने का अधिकार कि आप प्रशिक्षण और अनुसंधान का हिस्सा बनना चाहते हैं - या उसमें भाग नहीं लेना चाहते है।
10. शिकायत करने और उसे गंभीरता से लिए जाने का अधिकार।

अपने अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं विकलांगता कमिश्नर की वेबसाइट - **hdc.org.nz** पर जाएं

आपको मिलने वाली देखभाल से यदि आप खुश नहीं हैं तो आप निम्न कर सकते हैं:

उस व्यक्ति से बात करें जिससे आप खुश नहीं हैं क्योंकि हो सकता है वे आपकी समस्या को हल कर सकें।

शिकायत करने में मदद के लिए परिवार के किसी सदस्य या मित्र से सहायता लें।

सहायता के लिए स्वास्थ्य और विकलांगता अधिवक्ता को **0800 55 50 50** पर फोन करें।

स्वास्थ्य एवं विकलांगता आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए **0800 11 22 33** पर फोन करें या **hdc.org.nz** वेबसाइट पर जाएं।